

श्रीमती जोया हाइके, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा प्रथम अपील प्राधिकारी  
(नोटरी) के समक्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन )

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 422, “ए” विंग,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

\*\*\*\*\*

अपील सं0 24/ जेएस एंड एलए (जैडएच) /एनसी/2014

के मामले में :

श्री पारस नाथ,  
ग्राम रशीदगढ़,  
डाकघर थाना भवन,  
जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247777

..... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (एन)  
विधि और न्याय मंत्रालय,  
विधि कार्य विभाग,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली -110001

..... प्रत्यर्थी

आदेश

16.01.2015

प्रस्तुत अपील दिनांक 19.12.2014 की है, जो दिनांक 23.12.2014 को प्राप्त हुई है और  
सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन किए गए अपीलार्थी के दिनांक 30.10.2014 के उस  
आवेदन-पत्र से उत्पन्न हुई है, जिसमें उसने नोटरी की नियुक्ति हेतु इंटरव्यू देने के पश्चात अपनी  
नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सूचना मांगी थी :-

1. क्या सभी कागजात जो प्रार्थी की फाईल में थे जांच के उपरांत इंटरव्यू लेटर जारी किया गया ?
2. क्या दोबारा इंटरव्यू लेटर पत्रावली में संबंधित कागजात के अवलोकन के बाद जारी किया ?
3. क्या प्रार्थी का जाति प्रमाणपत्र पत्रावली पर उपस्थित है ?
4. क्या उपरोक्त प्रक्रिया में आरक्षण ३०बी०सी० २७ प्रतिशत लागू हुआ ?
5. क्या आरक्षण की प्रक्रिया में प्रार्थी का नाम अपोइन्टमेंट लिस्ट में आना चाहिए था ?
6. क्या प्रार्थी दवारा दाखिल शपथपत्र माननीय एस०डी०एम० जिला शामली दवारा सत्यापित है ?
7. प्रार्थी का इंटरव्यू अच्छा गया, सही जवाब दिए गए, पत्रावली पूर्ण है, आरक्षण है। फिर भी प्रार्थी को नोटरी के  
लिए नहीं चुना गया, इसका क्या कारण है ?

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उनके दिनांक 17.11.2014 के पत्र के जरिये आवेदक को निम्नलिखित सूचना दी थी :-

क्र.सं.	प्रश्न का उत्तर
1.	हाँ
2.	हाँ
3.	हाँ
4 व 5	नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
6.	नहीं
7.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति में है, इस विभाग द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य से बाहर है। फिर भी, आपको यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित साक्षात्कार बोर्ड ने आवेदकों को नोटरी के चयन से संबंधित नोटरी अधिनियम, 1952, नोटरी नियम, 1956 तथा संबंधित दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुरूप उनकी दक्षता, कानूनी जानकारी तथा अन्य संबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परखा। आवेदकों के बोर्ड के समक्ष उनके प्रदर्शन के आधार पर ही साक्षात्कार बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवेदकों के नाम नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु किए जाने के लिए अनुशंसा की है।

3. अपनी अपील में अपीलार्थी / आवेदक ने कहा है कि प्रार्थी ने दिनांक 30.10.2014 के अपने मूल आरोटी0आई0 आवेदन-पत्र में बिंदु सं0 6 पर दर्शाए गए अनुसार, एक बयान हल्फी माननीय एस0डी0एम0 द्वारा सत्यापित कराकर मूल पत्रावली में आपके कार्यालय में प्रथम इंटरव्यू के समक्ष दाखिल कर रखा है जबकि आपके कार्यालय के दिनांक 17.11.2014 के पत्र, जो प्रार्थी को दिनांक 20.11.2014 को प्राप्त हुआ है, में बिंदु सं0-6 पर मांगी गई सूचना के जवाब में “नहीं” लिखा गया है, जो कतई गलत है। न्याय हित में प्रार्थी की पत्रावली का दोबारा अवलोकन किया जाकर न्याय किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी की फाइल का दोबारा अवलोकन करके प्रार्थी को जवाब दिया जाए।

4. मामले को दिनांक 15.01.2015 को सुनवाई के लिए रखा गया था। आवेदक /अपीलार्थी न तो उपस्थित हुआ और न ही उसने कोई उत्तर दाखिल किया। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने आरोटी0आई0 आवेदन-पत्र से संबंधित फाइल दिखाई है। तथापि, उन्होंने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है।

सेवा में ,

श्रीमति जोया छड़के  
अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिप  
कानून एवं न्याय फैलाय , नई दिल्ली

महोदया ,

निवेदन है कि प्रार्थी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005

के अन्तर्गत पुरुष नम्बर-5 (245) 2013 एन0सी0 30050 निम्न पत्र से

24/05/2014  
23/11/2014 सूचना लेने के सम्बन्ध में दिनांक - 30.10.2014 को एक पत्र आपके कार्यालय  
जिसका जवाब प्रार्थी को 20.11.2014 को प्राप्त हुआ प्रार्थी ने अने पत्र  
में नम्बर-6 पर ब्यान उल्लेख माननीय एस0डी0एम० द्वारा सत्यापित कराकर  
मूल पत्राकाली में आपके कार्यालय में प्रथम इन्टरव्यू के समय दाखिल कर रखा  
है जबकि आपके कार्यालय में नम्बर-6 पर माँगी गई सूचना के जवाब में "नहीं"  
लिखा गया है जो कहाँ गलत है । न्याय हित में प्रार्थी की पत्राकाली का  
दोबारा अक्लोकन किया जाकर न्याय किया जाना आवश्यक है ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्था है कि प्रार्थी की पुरुष का अक्लोकन  
दोबारा करके प्रार्थी को जवाब दिया जाये ।

नोट - प्रार्थी पत्र के लाभ

1- ज्यान उल्लेख की प्रतीकों प्रति

दिनांकित - 20.02.2014

2- कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब

दिनांकित - 17.11.2014

प्रार्थी  
17.11.2014

पारस नाथ पुत्र श्री शिखरग

ग्राम - सीदगढ़, डीटोडा नामन

जिला रामनगर

पुरुष नम्बर-5 (245) 2013 एन0सी0

दिनांक - 19-12-2014.

5. मामले की जांच की गई है। संबंधित फाइल से यह देखा जा सकता है कि बिंदु सं0 6 पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर उचित है क्योंकि हलफनामा केवल नोटरी द्वारा सत्यापित है न कि एस0डी0एम0, जिला शामली द्वारा। इसलिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना उचित है। अतः अपील खारिज की जाती है।

6. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

दोनों पक्षों को तदनुसार सूचित कर दिया जाए।

ज्ञामा हाइको  
(ज्ञाया हाड़के)

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा  
प्रथम अपील प्राधिकारी  
दिनांक: 16.01.2015

1. श्री पारस नाथ, ग्राम रशीदगढ़, डाकघर थाना भवन, जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247777
2. उप विधि सलाहकार एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोटरी), विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
3. सूचना का अधिकार सेल, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AC 811166

शपथ पत्र

समक्ष : श्रीमान संबंधित अधिकारी महोदय  
शपथ पत्र मिनजानिव पात्रसनाथ पुत्र श्री शिवचरण निवासी :-

1. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा नाम पारसनाथ पुत्र श्री शिवचरण निवासी ग्राम रसीदगढ़ परगना व डाठ थानाभवन तहसील व जिला शामली (उ०प्र०) का हूँ और मेरी बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पंजीकृत सं० 5564 / 99 है तथा मैं बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हूँ।

2. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मुझ शपथकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोटरी की नियुक्ति के संबंध में मेरा कोई भी प्रार्थनापत्र उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

3. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं शपथकर्ता पिछले 13 वर्षों से जनपद मुजफ्फरनगर में चैम्बर नं० ४ / 45 कलेक्ट्रेट मुनैगर में अधिवक्ता का कार्य किया है और अब मैं जनपद शामली में कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान मैं यहां चार नोटरी एडवोकेट उ०प्र० सरकार द्वारा तथा चार नोटरी एडवोकेट केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

4. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मुझ शपथकर्ता के खिलाफ कोई भी आपराधिक वाद किसी भी विधि न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कभी भी योजित नहीं हुई है।

5. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मुझ शपथकर्ता को किसी नैतिक पतन संबंधित किसी अपराध में विधि न्यायालय द्वारा मुझ शपथकर्ता को दोषी घोषित नहीं किया गया है।

6. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि यह शपथपत्र मुझ शपथकर्ता ने अपने पूर्ण होशोहवास में स्वरक्ष मरितिष्ठ व स्वरक्ष चित्त की दशा में स्वयं ही लिखाया है और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित भी है।

7. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 ता 6 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सही है। कुछ भी छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मद्दत करें।

दिनांक : 20-02-2014

स्थान : शामली

ह० शपथकर्ता

क्र०स० ०२

संदर्भ क्रम करारे का प्रयोजन

स्टार्ट अप्लाई का राज्य के द्वारा दिए गए

स्टार्ट अप्लाई का राज्य के द्वारा दिए गए

पारमाणविकास १० अवधि शिवचारण निरुद्धीदगढ़

राज्य सुमित्राम्य विक्रेता

लाइन-62 अद्यता 31-3-2014

विवरण आपकी जिला-जागती

पारमाणविकास १० अवधि शिवचारण निरुद्धीदगढ़

पारमाणविकास १० अवधि शिवचारण निरुद्धीदगढ़

पारमाणविकास १० अवधि शिवचारण निरुद्धीदगढ़

S/90 ३२८१४  
R.Nu-03132110

Rajeev Mourya  
Advocate  
Resi No-2672/11  
Teh-Shamli Distt. P.Nagar

सभी दस्तावेज़ अंकुर द्वारा दिए गए हैं।  
मेरी व्यक्तिगत काम के दस्तावेज़  
को इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है।



संख्या. 5A(321)/2014-NC

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नोटरी सेल

\*\*\*\*\*

४३९, शास्त्री भवन,  
नयी दिल्ली-११०००९

दिनांक : नवम्बर 17, २०१४

सेवा में,

श्री पारसनाथ,

ग्राम रशीदगढ़ डाकखाना थानाभवन,  
जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247777.

विषय: आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 01.11.2014 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 01.11.2014 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में, जिम्मा सूचना प्रदान की जा रही है:

क्र.सं.	प्रश्न का उत्तर
1.	हाँ.
2.	हाँ.
3.	हाँ.
4 व 5	नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।
6.	नहीं।
7.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति में है, इस विभाग द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपेक्ष्य से बाहर है।

फिर भी, आपको यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित साक्षात्कार बोर्ड ने आवेदकों को नोटरी के चयन से सम्बंधित नोटरी अधिनियम, १९५२, नोटरी नियम, १९५६ तथा सम्बंधित दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुरूप उनकी दक्षता, कानूनी जानकारी तथा अन्य सम्बंधित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए परखा। आवेदकों के बोर्ड के समक्ष उनके प्रदर्शन के आधार पर ही साक्षात्कार बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवेदकों के नाम नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु किये जाने के लिए अनुशंसा की है।

2. यदि आप यहाँ प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति के ३० दिन के अंदर प्रथम अपील, प्रथम याचिका अधिकारी को जिम्मा नाम एवं पते पर कर सकते हैं।

श्रीमती ज्योता हड्डे, अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिकारी,

विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय,

कमरा संख्या 422 ए, चौथा तल,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली -११०००९

पूनम सूरी

(पूनम सूरी)  
उप विधि सलाहकार एवं  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
नोटरी सेल

मालवा डिपोर्टमेंट



स्पैड पोस्ट

सेवामें

अंग्रेजी जोधा हड़िके, अतिरिक्त विधि सलाहकार  
एवं प्रथम योग्यका आद्यकारी

निष्ठी कार्य किअग, कारुन एवं न्याय मन्त्रालय

कमरा संख्या 422 A चौथा तल

शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

पारस्य गाथ रुचाद गाउड  
रुचाद गाउड शास्त्री  
शास्त्री भवन  
नई दिल्ली - 110001  
मालवा पोस्ट ऑफिस  
पर्सनल गोपनीय

133



17 18 31/10/14

21(MIA) | 2014-15

सेवा में,

श्रीमान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस

डिपार्टमेन्ट ऑफ लीगल अफेयर,

भारत सरकार/जनसूचना अधिकारी।

विषय:- अग्रिम कार्यवाही हेतु जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत फाईल नं0-5 (245) 2013-एन0सी0, उत्तर-प्रदेश से सूचना लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ने पब्लिक नोटेरी के लिये भारत सरकार के अंतर्गत दिनांक 18.02.2013 को आवेदन माननीय जिला जज महोदय के माध्यम से पेश किया जिसमें भारत सरकार द्वारा लगभग 167 आवेदन कर्ता को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया। जिसमें भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा प्रार्थी को भी इन्टरव्यू लेटर फाईल नं0-5 (245) 2013-एन0सी0 द्वारा वसंतकुंज फैस-2 नई दिल्ली पर दिनांक 22.02.2014 दिन शुक्रवार को समय 9:30 बजे सुबह बुलाया। प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी। पुस्तक सं0-6044 पर दो हजार रूपये तथा पुस्तक सं0-6045 पर पचास रूपये की रसीद जमा करके प्रार्थी ने इलाहाबाद से एन0ओ0सी0 लेकर उपरोक्त फाईल पर जमा की। प्रार्थी ने निर्धारित उपरोक्त दिनांक व समय पर उपस्थित होकर इन्टरव्यू दिया जो काफी अच्छा गया प्रार्थी को पूर्ण उम्मीद थी लेकिन नई सरकार के आने से पुरानी सरकार ने कोड ऑफ कन्डक्ट के कारण इन्टरव्यू की रिजल्ट जारी नहीं किया। नई सरकार के आने के बाद नई सरकार ने पुराने 167 इन्टरव्यू धारकों को बुलाया तथा इनके साथ-साथ नये आवेदनकर्ताओं को भी इन्टरव्यू के लिये आमन्त्रित किया इनकी संख्या कुल 308 के लगभग थी। प्रार्थी को भी दोबारा इन्टरव्यू लेटर जारी हुआ प्रार्थी निर्धारित दिनांक 20.08.2014 को समय 9:00 बजे प्रातः उपरोक्त स्थान पर पहुंचा प्रार्थी ने

क्रमांक:....2

सही तरीक से इन्टरव्यू दिया। सभी सवालों को संतोषजनक उत्तर दिये इन उपरोक्त 308 में से लगभग 64 आवेदनकर्ता ओबीओसी० श्रैणी से जाते है प्रार्थी भी इसी श्रैणी से है। जिला मुजफ्फरनगर व शामली में जिसने भी इन्टरव्यू दिया है लगभग सभी को नोटरी पब्लिक बना दिया गया है लेकिन प्रार्थी का नाम नोटरी लिस्ट में नहीं आया है।

इससे सम्बन्धित प्रार्थी को निम्न सूचना देने की कृपा करें।

1. क्या सभी कागजात जो प्रार्थी की फाईल में थे जांच के उपरान्त इन्टरव्यू लेटर जारी किया गया।?
2. क्या दोबारा इन्टरव्यू लेटर पत्रावली में सम्बन्धित कागजात के अवलोकन के बाद जारी किया।?
3. क्या प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपस्थित है।?
4. क्या उपरोक्त प्रक्रिया में आरक्षण ओबीओसी० 27 प्रतिशत लागू हुआ।?
5. क्या आरक्षण की प्रक्रिया में प्रार्थी का नाम अपोइन्टमेन्ट लिस्ट में आना चूहिए था।?
6. क्या ग्राम द्वारा दाखिल अपथपत्र माननीय ५.०.८८८० संघापित है।  
प्रार्थी का इन्टरव्यू अच्छा गया सही जवाब दिये गये पत्रावली पूर्ण है आरक्षण है। फिर भी प्रार्थी को नोटरी के लिये नहीं चुना गया इसका क्या कारण है।?

दिनांक-30.10.2014

पौस्टले अडिर सरंगा ७०८.१३६४५९  
५+५ = ₹८.१०.०० सलेञ्ज है। ७०८.१३६४६०

प्रार्थी

पारसनाथ एडवोकेट

ग्राम रशीदगढ़ डाकखाना थानाभवन

जिला-शामली

पिन कोड-247777

उत्तर-प्रदेश

फाईल नं०-५ (२४५) २०१३-एन०सी०,